

प्रेस नोट दिनांक 20.03.2021

इटावा पुलिस द्वारा निजी अस्पताल संचालक से एक लाख रुपये की रंगदारी वसूलने वाले तथाकथित पत्रकारो को किया गया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन में लूट/रंगदारी की घटनाओ की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा निजी अस्पताल संचालक से एक लाख रुपये की रंगदारी वसूलने वाले तथाकथित पत्रकारो को किया गया गिरफ्तार ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.03.2021 को सोशल मीडिया के जरिये जनपदीय सोशल मीडिया सेल को सिद्धी अस्पताल के संचालक से तथाकथित पत्रकारों द्वारा एक लाख रुपये रंगदारी वसूलने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उच्चाधिकारियो एवं सम्बन्धित थाने को अवगत कराया गया । दिनांक 19.03.2021 को वादी ने थाना कोतवाली पहुंचकर बताया कि दिनांक 03.03.2021 को तथाकथित पत्रकार चंचल दुबे, कुल्दीप दुबे एवं प्रवीण दुबे निर्माणाधीन अस्पताल आए एवं अस्पताल संचालक से अस्पताल का रजिस्ट्रेशन न होने की खबर चलाने की धमकी देकर 30,000 रुपये रंगदारी की माँग करने लगे जिसका विरोध किये जाने पर तथाकथित पत्रकारो द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी इटावा के कार्यालय में अस्पताल पर कार्यवाही हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया गया था । तत्पश्चात तथाकथित पत्रकार चंचल दुबे ने अस्पताल संचालक से अस्पताल के विरुद्ध दिए हुए प्रार्थना पत्र को वापस लेने व मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहकर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक लाख रुपये की माँग की गयी । जिस सम्बन्ध में दिनांक 09.03.2021 को तथाकथित पत्रकारो द्वारा निजी अस्पताल संचालक से 1,00000 रुपये की ठगी की गयी । उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु०अ०सं० 115/2021 धारा 383/392/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उक्त घटना के शीघ्र अनावरण एवं गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में तथाकथित पत्रकारो की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी । उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में एक अन्य तथाकथित पत्रकार मनोज कठेरिया का नाम प्रकाश में आया था जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी ।

इसी क्रम में आज दिनांक 20.03.2021 को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि मु०अ०सं० 115/2021 से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्तगण टी०टी० तिराहा स्थित आजाद ढाबा पर कही जाने की

फिराक में खडे है। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंची। पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर घटना से सम्बन्धित तथाकथित 03 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मनोज कठेरिया पुत्र कुवंरपाल निवासी अड्डा गूलर गाँधी नगर थाना फ्रैण्डस कालोनी इटावा।
2. कुलदीप दुबे पुत्र स्व० प्रेमनारायण निवसी करनपुरा थाना कोतवाली इटावा।
3. प्रवीन दुबे पुत्र दयाशंकर दुबे निवासी चकवा बुजुर्ग थाना बसरेहर इटावा।

पुलिस टीम:- निरीक्षक श्री बचन सिंह सिरोही प्रभारी थाना कोतवाली इटावा, निरीक्षक क्राइम श्री उपेन्द्र सिंह, उ०नि० कमल किशोर, हे०का० सुजात हुसैन, का० अवधेश कुमार

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा।